

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्वू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } : 2311979, 2311901
Phone } : 2311854, 2311803
2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

संदर्भ: पंजी-पीएफ/पीआरईएक्स/2016-पंजी

दिनांक :21/05/2018

परिपत्र

पंजीकरण रद्द करना- संदर्भ में।

यह ध्यान में आया है कि निर्यातकों और मत्स्यन जहाजों सहित कई पंजीकृत संस्थाएं निर्धारित समय के भीतर अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं कर रही हैं। वे नवीकरण की अगली नियत तारीख यानि; वैधता की समाप्ति की तारीख के दो साल के भीतर भी इसका नवीकरण नहीं कर रहे हैं। पंजीकरण कार्यालयों को पहले भी निर्देश दिए गए हैं कि जिसने पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया है, उन संस्थाओं के पंजीकरण को रद्द करना बिना किसी विलंब के शुरू किया जाना चाहिए। तथापि, संबंधित क्षे.प्र./उ.क्षे.प्र. द्वारा पंजीकरण रद्द न किए जाने के कारण, ऐसी कई संस्थाओं के पास अभी भी एमपीईडीए का पंजीकरण मौजूद है।

किसी संस्था के पंजीकरण को रद्द करना वर्तमान में स्वैच्छिक आधार पर या कार्यालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के कारण संस्था के अनुरोध के आधार पर किया जाता है। ऑनलाइन मॉड्यूल में उपलब्ध अन्य विकल्प को विपंजीकरण कहा जाता है जिसका प्रयोग एमपीईडीए नियमों के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद किया जाता है।

इसकी जांच विस्तार से की गई और तदनुसार पंजीकरण रद्द करने के विकल्पों का पुनःनामकरण करने का निर्णय लिया गया है जैसे

(क) (i) स्वैच्छिक आधार या (ii) क्षे.प्र.के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के कारण; आदि मामलों में **"अनुरोध पर रद्दकरण"** एवं

(ख) एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार गैर नवीकरण, गैर निर्यात, अधिनियम और नियम आदि का उल्लंघन आदि के मामलों में **"अनुरोध के बिना रद्दकरण"**।

यदि संस्था का मालिक पंजीकरण के गैर नवीकरण के कारण रद्द की गई संस्था के पुनः पंजीकरण के लिए अग्रसर हो रहा है, तो क्षे.प्र./उ.क्षे.प्र., पुराने पंजीकरण प्रमाणपत्र को जोड़ते हुए संस्था को पुनःपंजीकृत कर सकता है और पुराने पंजीकरण संख्या के साथ एक नया पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।

एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के तहत शक्तियों से प्रत्यायुक्त सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को उन संस्थाओं को रद्द करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है, जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपने पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया है।

(बी श्रीकुमार)
सचिव

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय कार्यालय

मुख्यालय के सभी अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित : - प्रणाली विशेषज्ञ को ई-एमपीईडीए में आवश्यक प्रावधान करने के लिए ।

प्रतिलिपि प्रेषित : - कृपया निदेशक (विपणन) की जानकारी के लिए ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्वू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची-682036, भारत

**The Marine Products Export
Development Authority**

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
MPEDA House, Panampilly Avenue
P.B. No. 4272, Kochi-682 036, India



फोन } : 2311979, 2311901
Phone } : 2311854, 2311803
: 2313415, 2314468
2315065

फैक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in
Website : www.mpeda.com

Ref: REG-PF/PREX/1/2016-REG

Date:21/05/2018

C I R C U L A R

Cancellation of Registration- reg.

It has come to the notice that many registered entities including exporters and fishing vessels are not renewing their registration within the prescribed time. They are not even renewing it within the next due date of renewal ie; two years from the date of expiry of validity also. Instructions have been given to the registering offices earlier also that the cancellation of registration of the entities that has not renewed the registration should be initiated without any delay. However, many such entities are still holding registration under MPEDA as the concerned RD/SRD has not cancelled the registrations.

The cancellation of registration of an entity is presently done based on the request of the entity on voluntary basis or due to change in the jurisdiction of the office. The other option available in the online module is called de-registration which is resorted after issuing show cause notice as per MPEDA Rules.

This has been examined in detail and accordingly it has been decided to rename the options for cancellation of registration as

(A) "**Cancellation on request**" in cases of (i) voluntary basis or (ii) due to change in jurisdiction of RD and;

(B) "**Cancellation without request**" in cases of non renewal, non export, violation of Act & Rule etc as per the provisions of MPEDA Act & Rules.

In case the owner of the entity is coming forward for re-registration of the entity which was cancelled due to non renewal of registration the RD/SRD may re-register the entity linking the old registration certificate and issue a new certificate of registration with the old number.

All the registering authorities delegated with the power under MPEDA Act & Rules are directed to immediately take necessary actions for cancellation of those entities which have not renewed their registration within prescribed time.

BHARATHAN NAIR
SREEKUMAR

Digitally signed by BHARATHAN NAIR
SREEKUMAR
DN: c=IN, o=Personal, postalCode=682036,
st=KERALA, cn=BHARATHAN NAIR SREEKUMAR
Date: 2018.05.23 12:03:34 +05'30'

(B Sreekumar)
Secretary

To,

All Field Offices

All Officers in HO

Copy to:- SA for making necessary provision in the e-mpeda.

Copy to:- Director (M)- For kind information please